भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Implementation Unit
कमला भवन, हनुमन्त पुरम्, निकट-त्रिपुला चौराहा, रायबरेली-229001 (उ०प्र०)
Kamla Bhawan, Hanumant Puram, Near Tripula Chauraha, Raelareli - 229001 (U.P.)
दूरभाष / Phone : 0535-2975212
ईमेल / E-mail : pdpiuraebareilly@nahi.org, pdpiuraebareilly@gmail.com वेब : www.nhai.gov.in

भा0रा0रा0प्रा0/प0का0इ0-रायबरेली/अयोध्या बाईपास/ 27724 दिनांक : 21.06.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, अयोध्या

विषय- अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एव बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – 1. आपका पत्रांक 4409/14-4, दिनांक, अयोध्या : 11 जून 2023.

2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार का पत्रांक 18बी /यू०पी०/06/303/2022/ एफ.सी दिनांक 12.12.2022.

3. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 2062/11-सी-FP/UP/Road/151936/2022. लखनऊ दिनांक 19.12.2022 व पत्रांक 3438/11-सी- FP / UP/Road/151936 /2022 लखनऊ दि० 01.05.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र क्रमांक दो एवं क्रमांक तीन में संदर्भित मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 19.12.2022 में इंगित की गई आपत्तियों / कमियों का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय के पत्रांक NHAI/PIU-Rbly/Ayodhya Ring Road / Forest / 2023 / 26612 दिनांक 21.02.2023 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।

क्रमांक तीन में संदर्भित मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 01.05.2023 में इंगित की गई आपत्तियों / कमियों का निराकरण कर आख्या निम्नवत है।

क्र.सं.	आपत्तियां / कमियां	निराकरण
1	भारत सरकार की आपत्ति सं0-01 के निराकरण के क्रम में प्रस्तावित वनभूमि की संशोधित के०एम०एल० फाइल ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड नहीं की गयी है तथा प्रस्तावित वनभूमि की संशोधित के०एम० एल० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न नहीं की गयी है।	प्रस्तावित वनभूमि की के०एम०एल० फाइल ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड की गई थी किन्तु परिवेश पोर्टल में तकनीकी कारणों से यह ऑनलाइन पार्ट 1 में प्रदर्शित नहीं हो रहा था। NIC द्वारा तकनीकी कारणों को दूर कर के०एम०एल० फाइल ऑनलाइन पार्ट-1 में पुनः अपलोड कर दी गई है। प्रस्तावित वनभूमि की के०एम०एल० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर आपके कार्यालय को प्रेषित प्रस्ताव में पूर्व से संलग्न है।
2	भारत सरकार की आपत्ति सं०-03 के निराकरण के क्रम में पुनः प्रस्तावित CA स्थल की पठनीय SOI Toposheet ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड नहीं की गयी है।	CA स्थल की पठनीय SOI Toposheet ऑनलाइन पार्ट-2 में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या एवं प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती के स्तर से अपलोड किया जाना है। तीनों वन प्रभागों द्वारा CA स्थल की SOI Toposheet की हार्ड कॉपी पूर्व से नोडल अधिकारी को प्रेषित प्रस्ताव में संलग्न है।

3	भारत सरकार की आपत्ति सं0-06 के निराकरण के क्रम में आपके उत्तर में Not Applicable लिखा गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार सही निराकरण कर संलग्न करें।	भारत सरकार की आपत्ति सं0-06 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या के स्तर से किया जाना है।
4	प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या नोडल अधिकारी नामित है। अतः तीनों वन प्रभागों का समेकित निराकरण संलग्न कर प्रेषित करें।	वन प्रभाग, गोंडा एवं सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती द्वारा आपत्तियों / कमियों का निराकरण कर आख्या क्रमशः वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोंडा एवं वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती के माध्यम से नोडल अधिकारी को पूर्व से प्रेषित की जा चुकी है।

अतः आपसे निवेदन है कि परियोजना की महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

सधन्यवाद।

Puneet

(पुनीत गर्ग)
प्रबंधक (तक0)